

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी तारीख के साथ
11/12/2014	<p style="text-align: center;">सारण समाहरणालय, छपरा।</p> <p style="text-align: center;">न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा जिला विधि प्रशाखा आपूर्ति अपील संख्या 25/11 विश्वनाथ साह बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, मद्रौरा) एवं अन्य आदेश</p> <hr/> <p>संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मद्रौरा के आदेश ज्ञापांक 218 दिनांक 13.1.11 के विरुद्ध दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी।</p> <p>वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 16.11.10 को अनुमंडल स्तरीय गठित जाँच दल (अंचलाधिकारी, तरैया एवं अंचलाधिकारी, इसुआपुर) के द्वारा विश्वनाथ साह, जमिप्रवि, अनुज्ञप्ति सं० 70/07, ग्राम-बसहियों, पंचायत-बसहियों, थाना-प्रखंड-पानापुर की दूकान की जाँच की गयी। जाँच के क्रम में पायी गयी अनियमितता इस प्रकार है:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दूकान बंद पायी गयी एवं विक्रेता दूकान से अनुपस्थित थे। 2. दूकान से संबंधित सूचनापट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट पर समुचित रूप से संधारित नहीं था। 3. विक्रेता की अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी/वितरण पंजी इत्यादि की जाँच नहीं की जा सकी तथा मँगने पर भी विक्रेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा उपरोक्त कागजात जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। 	



4. विक्रेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा भंडार व निरीक्षण हेतु भंडार खोलकर नहीं दिखाया गया, इससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रेता के द्वारा सरकार के द्वारा अनुदानित सामग्री का उपभोक्ताओं के बीच वितरण न कराकर उसकी कालाबाजारी कर दी जाती है।

उक्त अनियमितताओं के लिए अनुगंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 3387 दिनांक 4.12.10 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक पाते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया गया तथा उनकी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।



अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि दिनांक 16.11.10 को प्रातः 8.00 बजे विक्रेता के लड़के की अचानक तबीयत खराब हो गयी थी, जिसे ईलाज हेतु मशरक चला गया था। मशरक जाने से पूर्व विक्रेता अपनी दूकान से संबंधित सूचनापट्ट एवं नूत्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित किया था। सूचनापट्ट पर अपने बच्चे की ईलाज हेतु मशरक जाने की सूचना भी अंकित किया गया था। विक्रेता अपने परिवार का अकेला जिम्मेदार व्यक्ति है, इसलिए दूकान से संबंधित कागजात व चाबी अपने ही पास रखता है। विक्रेता किरासन तेल एवं खाद्यान्न का उठाव नियमित रूप से करता है तथा वितरण सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य एवं निर्धारित मात्रा में उपभोक्ताओं के बीच वितरित करता है। यह भी बतलाया कि विक्रेता के द्वारा अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर माह का किरासन तेल का उठाव कर उसका वितरण अपने उपभोक्ताओं के बीच करके उसका कूपन प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जमा किया गया था, जिसकी प्राप्ति रसीद की छायाप्रति संलग्न की गयी है। साथ ही तीनों माह का भंडार पंजी एवं वितरण पंजी की छायाप्रति भी

संलग्न की गयी है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने आदेश में अंकित किया गया है कि विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में अंकित कतिपय अनियमितताओं के संबंध में विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों/पंजी में किसी प्रकार की कोई अनियमितता पायी गयी थी, तो उनसे पूरक कारणपृच्छा की जाती, लेकिन ऐसा नहीं करके विक्रेता के विरुद्ध उन बिन्दुओं को आधार बनाकर उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है, जिसका उल्लेख कारणपृच्छा में किया ही नहीं गया था और इस तरह विक्रेता को उन बिन्दुओं पर अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा विक्रेता की रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्तों, विभागीय दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिसीलन से पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के द्वारा पारित आदेश में कुछ कमियाँ नजर आ रही हैं। यथा- जाँच पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता के संबंध में किसी उपभोक्ता का बयान प्राप्त नहीं किया गया, वितरण पंजी में अंकित हस्ताक्षर की पहचान हेतु अनुमंडल कार्यालय सक्षम स्थल नहीं है। इसके लिए लिखावट विशेषज्ञ की जाँच अपेक्षित प्रतीत होती है। विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में अंकित कतिपय अनियमितताओं के संबंध में विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों/पंजी में किसी प्रकार की कोई अनियमितता पायी गयी थी, तो उनसे पूरक कारणपृच्छा की जाती, लेकिन ऐसा नहीं करके विक्रेता के विरुद्ध उन बिन्दुओं को आधार बनाकर उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है, जिसका उल्लेख कारणपृच्छा में किया ही नहीं गया था और इस




	<p>तरह विकेता को उन बिन्दुओं पर अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। ऐसे में इस मामले को पुनः जाँचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है।</p> <p>वाद निष्पादित।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> जिला वंडाधिकारी, सारण, छपरा</p>	
	<p> जिला देडाधिकारी, सारण, छपरा</p>	

ज्ञापांक.....1058.....दिनांक.....15/12/14

प्रतिलिपि:-अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा को निम्न न्यायालय का अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।


वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा, सारण, छपरा।
15/12/14